राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी 3 राजमहल रेजीडेन्सीयल एरिया, सिविल लाईन्स फाटक 22 गोदाम जयपुर)

क्रमांक प.8(ग)(78)नियम/डीएलबी/2025/ 11555 जयपुर दिनांक : 9/9/25

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8(ग)(78)नियम/डीएलबी/2024/16443 दिनांक 19.12.2024 को निकाय के बोर्ड एवं निकाय स्तरीय समितियों की बैठक हेतु तारीखों का निर्धारण किया गया था। जिसके क्रंम में निम्न प्रकार अधिसूचना जारी की जाती है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51(1) में नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक सात दिवस के भीतर एक बार होने और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छः बैठके होने के प्रावधान है। मॉडल भवन विनियम 2025 के विनियम 11.3 में भवन मानचित्र समिति का गठन किया गया हैं। भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम 7 (1) में निकाय स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक प्रति माह आयोजित करने का प्रावधान है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2018 के बिन्दु 10 में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस में ले-आउट प्लान समिति का कार्यवाही विवरण जारी होने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान अनुसार निम्न प्रकार बैठकों का आयोजन किया जावें:-

1.	निकाय में गठित बोर्ड की बैठक	गत बैठक से प्रत्येक दूसरे माह की 20 तारीख (इससे अधिक बैठक रखने के लिए निकाय स्वतंत्र है)
2.	निकाय स्तरीय भवन मानचित्र समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 5 तारीख।
3.	निकाय स्तरी भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 10 तारीख।
4.	ले-आउट प्लान समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 30 तारीख।

उपरोक्त दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में उक्त बैठके अगले कार्य दिवस को सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर

निदेशक

क्रमांक प.8(ग)(78)नियम / डीएलबी / 2025 / 11556-12248 दि० 9/9/25
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी स्वायत्त शासन विभाग, राज0जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान / जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग समस्त राज0।
9. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद् / पालिकाऐं, समस्त राज0।
10. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिकाऐं, समस्त राज0।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राज0 जयपुर। को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करावें।
12. प्रोग्रामर आई. टी. सेल निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज आग्रत)
निदेशक (विधि)
स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर